कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

डाण्डा लखौण्ड,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248001

ई मेल- mdnhmuk@gmail.com फोन / फैक्स 0135-2608646

पत्रांक:- UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters VI/ 897 दिनांक- 13/06/2025

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

विषय: शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद, शराब आदि मादक पदार्थों की बिक्री के विरूद्ध लगाये जा रहे अभियान की अद्यावधिक प्रगति के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड के पत्रांक-डीजी-क्राइम-201/2024 दिनांक: 02 जून, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (संलग्न)। जोकि वरिठ/पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद/रेलवेज/एसटीएफ, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया है। जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्तपाद, शराब आदि मादक पदार्थों की बिक्री के विरूद्ध दिनांक 31.05.2025 से दिनांक 26.06.2025 तक अभियान चलाकर कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। शासन द्वारा चलाये जा रहे उक्त अभियान की पुलिस मुख्यालय स्तर पर साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जायेगी।

अवगत कराना है कि उक्त पत्र दिनांक 02 जून 2025 जो प्रतिलिपि में महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त के क्रम में आपसी समन्वय तथा जनपदीय पुलिस प्रभारियों को शमन शुल्क पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि उक्त अभियान के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, कोटपा-2003 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत चालान व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने हेतु चालान पुस्तिका जनपद पुलिस प्रभारियों को उपलब्ध करायी जानी है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्वीकृत RoP के S.No. 104 Implementation of COTPA 2003 के अन्तर्गत Prinitng of Challan Book हेतु समस्त जनपदों के लिये धनराशि अनुमोदित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(संलग्नः-यथोपरि)।

भवदीय,

(डा0 मनु जैन) 13/6/25
निदेशक (एन0एच0एम0)

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।

(डा0 मनु जैन) 13/6/25
निदेशक (एन0एच0एम0)

Scanned with OKEN Scanner